



HQRS.OFFICE  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
PANCHDEEP BHAVAN, CIG ROAD, NEW DELHI-110002  
(ISO 9001: 2008 Certified)  
[www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in), e-mail: [dir-pnd@esic.nic.in](mailto:dir-pnd@esic.nic.in)



No.N-15/13/1/8/2015-P&D

Dated:- 05/05/2016

To,

The Regional Director,  
Regional Office,  
Employees' State Insurance Corporation,  
Andhra Pradesh

**Subject: Implementation of ESI Scheme in the areas falling in Narayanapuram and its Surrounding 14 revenue villages in Ungutur Mandal of West Godavari District in the State of Andhra Pradesh.**

Sir,

In continuation of this office endorsement of even number dated 21/09/2015 on the above cited subject, please find enclosed herewith the copy of notification dated 28/04/2016 issued by the Ministry of Labour & Employment, Government of India.

Further necessary action may please be taken immediately for implementation of Scheme in above areas.

**Encl.: As above.**

Yours faithfully,

(Jai Singh)  
**Asstt. Director (P&D)**

✓ Copy to:- Web Site Content Manager Hqrs Office with the request to upload the enclosed notification on the Website of Hqrs Office.

**ASSTT. DIRECTOR (P&D)**

वेबसाइट की लिंक-सूची का प्रबंधन.....  
Website Contents Management.....  
सूची का डायरी No. 166.....  
दिनांक 05/5/16.....

SL. No. 13 (R)

To be published in Gazette of India, Part-II, Section - 3, Sub-Sec.(ii)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
New Delhi

Dated: 20/04/2016

NOTIFICATION

S.O. \_\_\_\_\_: In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints **the 1<sup>st</sup> May, 2016**, as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI (except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of **Andhra Pradesh** namely:-

"ALL THE AREAS FALLING WITHIN THE LIMITS OF REVENUE VILLAGE WITH THEIR HAMLETS OF NARAYANAPURAM, UNGUTUR, CHEBROLU, RACHURU, GOPINADHAPATNAM, NEELADRIPURAM, NACHUGUNTA, TALLAPURAM, RAVULAPARRU, APPARAOPETA, KAIKARAM, PULLA, NIDAMARRU, KAGUPADU, BOMMIDI OF UNGUTUR MANDAL OF WEST GODAVARI DISTRICT IN ANDHRA PRADESH,"

(No. S-38013/ 87 / 2015-SS.I)

(AJAY MALIK)

Under Secretary to the Govt. of India

To,  
The Manager,  
Government of India Press,  
Mayapuri, Ring Road,  
New Delhi.

Copy forwarded for information to:

1. ✓ The Director General, ESI Corporation, New Delhi.
2. The Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Labour, Employment Training & Factories Deptt., (IMS) Andhra Pradesh Secretariat, Hyderabad - 22.
3. The Regional Director, ESI Corporation, Hyderabad.
4. Guard File

श्रम एवं विभाग  
P & D CELL  
दस्तावेज सं./Dg. No. 1987  
दिनांक/Date... 4/5/16

(A.U.K. Khaldy)  
Section Officer

भारत के राजपत्र भाग-2ए खण्ड-3 के उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली

दिनांक: 28/04/2016

अ धि सू च ना

का.आ. \_\_\_\_\_ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 मई 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 (धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबंध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

“राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले गाँव और उनके निकटवर्ती गाँव नारायणपुरम, उंगुटूर, चेत्रोलु, राचुरु, गोपीनाधपटनम, नीलद्रिपुरम, नाचुगुंटा, तल्लापुरम, रावुलापारू, अप्पारावपेटा, काइकारम, पुल्ला, नीडामारू, कागुपाडू, और आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के उंगुटूर मंडल के बोम्मिडी के सभी क्षेत्र”

संख्या:-एस-38013/87/2016-एस.एस.1

- 84 -

(अजय मलिक)

अवर सचिव

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, रिंग रोड,

नई दिल्ली।



मुख्यालय  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन : सी. आई. जी. मार्ग: नई दिल्ली-2

संख्या: एन-15/13/1/8/2015-यो0 एवं0 वि0

दिनांक- 05/05/2016

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
क.रा.बी. निगम  
आन्ध्र प्रदेश

विषय:- आन्ध्र प्रदेश राज्य के राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले 14 गाँव और उनके निकवर्ती में आने वाले सभी राजस्व गाँव, पश्चिम गोदावरी जिले के उंगुट्टर मंडल के बोम्मिडी के सभी क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पृष्ठकित समसंख्यक पत्र दिनांक 21/09/2015 के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 28/04/2016 को जारी अधिसूचना की प्रति एतद्वारा अग्रेषित है।

कृपया उपर्युक्त क्षेत्र में स्कीम लागू करने के लिए तुरंत अगली आवश्यक कार्रवाई करें।

अनुलग्नक: उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(जय सिंह)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

✓ प्रतिलिपि:- वेबसाइट सामग्री प्रबंधन को इस अनुरोध के साथ कि इसे निगम मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सहायक निदेशक (यो. एवं वि.)